राजस्थान–सरकार

कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

कमांकः–प–5(3)आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017–18 / 2808–3049 दिनांकः– 1-6-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त), ...
2. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त ....
3. परियोजना निदेशक(आत्मा) समस्त जिला ....
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त..............
5. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा
6. उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प. बीकानेर

विषयः– फारमर्स फिल्ड स्कूल आधिारित पूर्ण पैकेज फसल प्रदर्शन (FFS based full package crop demonstrations) के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा–निर्देश एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2017–18

फसल प्रदर्शन के प्रभावी आयोजन का क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों में उन्नत शष्य क्रियाओं के कृषकों द्वारा अपनानें एवं प्रोद्यौगिकी के हस्तानान्तरण में महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत खरिफ 2017 में ग्वार, मक्का एवं रबी 2017–18 में गेहूँ, जौ, आदि के पूर्ण पैकेज फसल प्रदर्शन आयोजित किये जाने है। अल्प संसाधन वाले व समाज के कमजोर वर्ग के कृषको को इस कार्यक्रम से लाभान्वित करने एवं फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन में नवीनतम कृषि प्रौधौगिकी को अपनाने तथा गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध कार्यक्रम कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नवीन दिशा–निर्देश तैयार कर भिजवाये जा रहे है। यथा सम्भव समस्त विभागीय प्रदर्शनों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोडा जावें अर्थात प्रमाणित बीज उत्पादकों को प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जावें।

फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शनों का आयोजन कृषि आयुक्तालय के पत्रांक एफ. 5 (3) / आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017–18 / 2568–2738 दिनांक 12.05.2017 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार कराया जावे। उक्त प्रदर्शनों में वित्तीय प्रावधान ग्वार एवं गैहू में एन.एफ.एस.एम दलहन के प्रावधान अनुसार ग्वार में रू. 6110 / – प्रति हैक्टेयर, गेहूँ में रू. 6610 / – प्रति हैक्टेयर तथा जौ एवं मक्का में रू. 5000 / – प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अधिकतम अनुदान देय है तथा बीज एवं अन्य आदान हेतु संदर्भित योजनाओं के कैफेटेरिया अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित प्रशिक्षण के दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है जिनकी अनुपालना सुनिश्चित करे।

संलग्न :–

1– फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित प्रशिक्षण के दिशा–निर्देश (पेज सं0–1–9)
2– प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आवंटन(पेज सं0–10–13)

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः—प—5(3)आ.कृ. / एनएमओओपी / प्रदर्शन / 2017—18 / 2808—3049 दिनांकः— 1-6-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, रा0 जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव राज0, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर,(समस्त) / अध्यक्ष, आत्मा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन..............
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि / विस्तार / आदान / अनु0 / मुख्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, समेति आत्मा, कृषि निदेशालय, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक,राजफैड, भवानी सिंह रोड, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि फसलों के प्रदर्शन आयोजन हेतु कृषि आदान यथा बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, उर्वरक (डीएपी एवं यूरिया), जैव उर्वरक पौध संरक्षण रसायन की आवश्यकतानुसार जिलों की संबंधित क्रय —विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
8. महा प्रबन्धक, राज0 राज्य बीज निगम / क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, जयपुर / क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय राज्य फार्म निगम जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित फसलों के प्रदर्शन आयोजन हेतु खण्ड में सिफारिश किस्मों के प्रमाणित बीज संबंधित उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद से संपर्क कर उनकी मांग के अनुसार समय पर पहुंचाने की व्यवस्था करने का श्रम करावें तथा संबंधित क्षे0प्र / स0प्र0 को निर्देशित किया जावे कि वे बिल भेजते समय बीज की किस्म व लॉट संख्या का इन्द्राज आवश्यक रूप से करें। जहां बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है वहां प्रदर्शन कार्यक्रम से जोडा जावे। बीज आपूर्ति की सूचना से कृषि, निदेशालय को सूचित करें।
9. संयुक्त निदेशक कृषि, योजना, मुख्यालय जयपुर।
10. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक कृषि,(योजना / पौध संरक्षण / ज.उ.प्र. / गुण नियन्त्रण / ए.टी.सी. / एम एण्ड ई / रसायन आदान) को एरिया नोडल आफिसर के रूप मे पर्यवेक्षण हेतु।
12. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डजयपुर / भरतपुर / गंगानगर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भीलवाडा / सीकर / जालौर / बीकानेर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि, पौध व्याधि, राईजाबिया स्कीम, दुर्गापुरा, जयपुर।
14. उप निदेशक कृषि, (विस्तार / अभियांत्रिकी / रसायन / सूचना) , मुख्यालय जयपुर।
15. उप निदेशक कृषि,(सांख्यिकी), कृषि निदेशालय जयपुर को आंकडे कम्प्यूटर मे फीड करवाने हेतु प्रेषित है।

(आर0 के0 यादवेन्द्र)
संयुक्त निदेशक, कृषि (एनएमओओपी)

फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन प्रशिक्षणः

1. फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन संचालन का दायित्व सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् व सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) का होगा। प्रत्येक किसान खेत पाठ्शाला में कृषक प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो कृषि अधिकारी स्तर का होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उददेश्य है कि कृषक प्रभावी तौर पर फसल उत्पादन तकनिकों की जानकारी प्राप्त करें व उन्हें अपने खेत पर अपनायें। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
2. फसल प्रदर्शनों के आयोजन को अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रति ब्लॉक कॉम्पेक्ट/कलस्टर प्रदर्शन क्षेत्र पर फसल की विभिन्न क्रांन्तिक अवस्थाओं पर छः बार एक प्रदर्शन क्षेत्र पर एक दिवसीय फसल प्रदर्शन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जावेगा तथा अन्त में फसल के पकने की अवस्था एवं कटाई के दरम्यान एक फिल्ड डे का आयोजन किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में कृषकों को प्रायोगिक प्रशिक्षणों का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कृषक स्वयं कृषि तकनीक को प्रदर्शित करेगा ताकि अन्य अनुयायी कृषक भी उन्नत फसल उत्पादन तकनीक अपना सके। (प्रपत्र–1)
3. प्रदर्शन स्थल पर आयोजित प्रशिक्षण में कृषकों को समय पर शष्य क्रियाओं को करने के महत्व के बारे में बताया जावेगा।
4. प्रदर्शनों में मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सुक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग, बायो फर्टीलाइजर्स के उपयोग, फफूंदनाशक से बीज उपचार, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण, कीट व्याधि के प्रकोप के समय बायो पेस्टीसाइड्स के उपयोग, तिलहनी फसलों के प्रदर्शन में जिप्सम का उपयोग आदि को आवश्यक रूप से अपनाया जाना है।
5. प्रशिक्षण में महिला कृषकों, व शिक्षित युवा कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की जावें।
6. फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित फसल प्रशिक्षण, कॉम्पेक्ट प्रदर्शन क्षेत्र के उस स्थान पर रखा जावे जहॉ बैठक करने एवं आसानी से पहुॅचने की व्यवस्था हो।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम में फसल विशेष की स्थिति, अवस्था एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विषय सम्मिलित किया जा सकता है। प्रतीकात्मक सूचि संलग्न की जा रही है जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते हैं। (प्रपत्र–2)

२७५

8. फारमर्स फिल्ड स्कूल कृषक प्रशिक्षण में वे कृषक भाग लेगें जिनके यहॉ फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है एवं उनके अनुयायी सीमान्त व लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जाये। प्रत्येक एफ.एफ.एस. पर एक फिल्ड डे का आयोजन किया जायेगा जिसमें उक्त 50 कृषकों के अलावा 70 अनुयायी कृषक भाग ले सकेगें। फिल्ड डे आयोजन हेतु प्रदर्शन स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड, कृषकों को चाय नाश्ता, टैन्ट व बैठने की व्यवस्था, कृषि साहित्य इत्यादि पर व्यय हेतु पृथक से वित्तिय प्रावधान है।
9. प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् प्रशिक्षण कलेन्डर बनायेंगे जिसमें प्रशिक्षण स्थल, दिनांक, समय, अतिथि